संख्या:52/2020/1228जेएल/22-3-2020-800(1)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनाक: 31 जुलाई, 2020*

विषय- जिला कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सूर्य कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, निवासी-बी-105/4, आर0डी0एस0ओ0 कालोनी, थाना-मानक नगर, जनपद-लखनऊ, हाल पता-म0नं0-548-एस/10, सूर्य नगर, पोस्ट-मानक नगर, थाना-पारा, जनपद-लखनऊ को पुत्र के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-137/जे0ए0 3/पैरोल/2020, दिनांक 09-04-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973(1974 का एक्ट संख्या-2) की धारा-432 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल जिला कारागार लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सूर्य कुमार त्रिपाठी पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, निवासी-बी-105/4, आर0डी0एस0ओ0 कालोनी, थाना-मानक नगर, जनपद-लखनऊ, हाल पता-म0नं0-548-एस/10, सूर्य नगर, पोस्ट-मानक नगर, थाना-पारा, जनपद-लखनऊ को पुत्र के उपचार हेतु एक माह के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर कारागार से छोड़े जाने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ देते है कि बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में शांति बनाये रखने तथा अच्छे चाल-चलन रखने और पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर जेल में वापस जाने के लिए आपकी संतुष्टि के अनुसार दो जमानतों सहित एक निजी मुचलका दाखिल करे तथा बंदी के विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा किसी न्यायालय में विचाराधीन न हो तथा बंदी का जेल आचरण संतोषजनक हो। पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि को बंदी द्वारा काटी गयी सजा में नहीं जोड़ा जायेगा।

2- यदि बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) समाप्त होने पर नियत तिथि को जेल में हाजिर न हो तो बंदी तथा उसके जमानतदारों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाय। बंदी पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि में अपने निवास स्थान के थाना में अपनी उपस्थिति की सूचना देता रहेगा।

3- बंदी को यह स्पष्ट कर दिया जाय कि यदि वह स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) की अवधि समाप्त होने पर निर्धारित दिनांक को जेल में वापस नहीं आता है तो उसके विरूद्ध की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह भविष्य में एक निश्चित अवधि अथवा सदा के लिए परिहार तथा पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पाने का अधिकारी न होगा।

4- यह आदेश जारी होने के दिनांक से छः माह तक मान्य होंगे।

5- कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना तुरन्त दें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:52/2020/1228जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बंदी के पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) पर रिहा किये जाने तथा बंदी के जेल में हाजिर होने की तिथि, शासन तथा महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 को रेडियोग्राम द्वारा उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।